कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, बिजनौर

संख्या : ८५ /वेबकस्टिंग/वि0स0नि0/2012 दिनॉक : २१ जनवरी, 2012

कोटेशन आमंत्रण सूचना

सूचित किया जाता है विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2012 के मतदान दिवस हेतु मतदान केन्द्रों पर सीधे वेबकास्टिंग का कार्य सफलतापूर्वक कराये जाने हेतु क्रियान्वित उपकरण/मेनपावर, लेपटॉप (Latest Configration), वेबकैमरा (2–मैगापिक्सैल अथवा उससे अधिक तक), वेबकास्टिंग आपरेटर, ब्लैंक डी0वी0डी0 (01 बाक्स ब्रान्डेड डी0वी0डी0 यथा मोजरबियर, एमकेट आदि) सहित सील्ड कोटेशन दिनांक 30 जनवरी 2012 को दोपहर 12 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय बिजनौर में प्राप्त की जायेगी जो उसी दिन दोपहर 1 बजे समिति/उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बिजनौर के समक्ष खोली जायेगी। नियत दिनांक व समय के पश्चात् प्राप्त कोई कोटेशन स्वीकार नही की जायेगी। कोटेशन को पूर्ण अथवा आंशिक रूप में स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उप जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा। वांछित वस्तुओं का विवरण कार्यप्रणाली एवं उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त अन्य शर्तो के सम्बन्ध में समय–समय पर आवश्यक निर्देश/विवरण प्रभारी अधिकारी व्यय निर्वाचन/जिला निर्वाचन कार्यालय, बिजनौर से कार्यालय समय के अन्तर्गत प्राप्त कर सकते है। कोटेशन प्रपत्र दिनांक 30 जनवरी, 2012 को दोपहर 12 बजे तक बिक्री हेतु उपलब्ध रहेंगे।

कोटेशन की शर्ते

1. कोटेशन के साथ रू0 1000/– (एक हजार) की एफ0डी0आर0 जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी, बिजनौर के नाम बन्धक होगी अथवा नकद धनराशि कोषागार रसीद–385 के माध्यम् से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करनी होगी। कोटेशन स्वीकृति उपरान्त अनुमानित लागत की 10 प्रतिशत धनराशि जमानत के रूप में एफ0डी0आर0 अथवा नकद जमा करनी होगी जिसमें अर्नेस्टमनी समायोजित कर ली जायेगी। सन्तोषजनक कार्य पूर्ण होने पर उक्त धनराशि वापसी योग्य होगी।
2. कोटेशन स्वीकृति उपरान्त फर्म को अंकन रू0 100/– के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
3. कार्य पूर्ण होने पर बिलों के साथ रिकार्डिंग की कैसेट/सीडी जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करनी होगी।
4. कोटेशन प्रपत्र का मूल्य 100/– है जो वापसी योग्य नही है।
5. कोटेशनदाता द्वारा पेन नं0 की फोटोप्रति कोटेशन के साथ संलग्न करनी होगी तथा बिलों के भुगतान के समय नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी।
6. सम्बन्धित वेबकास्टिंग आपरेटर को पीठासीन अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र देंगें कि आपरेटर ने उनके पोलिंग स्टेशन पर उपस्थित रहकर पूरी मतदान अवधि के दौरान वेबकास्टिंग का कार्य किया है। इसके साथ ही वेबकास्टिंग की एक सीडी भी तैयार की जायेगी जिसे जिला मुख्यालय पर जमा किया जायेगा।
7. सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं वेबकास्टिंग रिकार्डिंग की डी0वी0डी0 उपलब्ध होने के आधार पर ही सम्बन्धित का मेनपॉवर और इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भुगतान किया जायेगा।
8. मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ से धन आबंटन प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
बिजनौर

प्रतिलिपि :–

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बिजनौर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस कोटेशन आमंत्रण सूचना को वेबसाइड पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. जिला निर्वाचन कार्यालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
बिजनौर